## न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—19/16

1. रामजीलाल पुत्र रामधन, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मंजू शर्मा पत्नी कमलेश शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, निवासी मकान नम्बर 6, पुष्पांजली कॉलोनी, महेश नगर के पास, जयपुर महानगर जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट

2. तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर, राजस्थान।
3. गुरूकृपा विल्ड वीजन प्राईवेट लिमिटेड, दुकान नम्बर बी—1 एव—6, डी इंजीनियर्स कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड़, ग्राम मांग्यावास, तहसील सांगानेर जयपुर राजस्थान।
4. जगदीश,
5. गोपाल,
6. गोलू पुत्रान लादूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम रेनवाल माजी, तहसील फागी, जिला जयपुर, राजस्थान।
7. हरनाथ पुत्र लादू, जाति जाट, निवासी ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर, राजस्थान।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

## निर्णय

दिनांकः 26/12/17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के आदेश दिनांक 15.12.2015 (प्रकरण संख्या 9/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन रिपोर्ट पर बगैर मनन किये व बिना अवलोकन किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.15 पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि सीमांकन करवाने के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ऑथोरिटी है और यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा सीमांकन नही करने व सेटलमेन्ट से सीमांकन करने की सिफारिश बिना पटवार हल्का, पटवारी व गिरदावर रिपोर्ट के, क़ी गई जहॉ सेटलमेन्ट विभाग से ई.डी.एम. मशीन से सीमांकन करने का आदेश जिला कलक्टर द्वारा पारित किया गया है तो सीमांकन से हल्का पटवारी व गिरदावर से मौके व आस—पास के पडौसी काश्तकारों को नोटिस जारी के पश्चात् ही सीमांज्ञान की कार्यवाही की जानी चाहिये किन्तु सेटलमेन्ट विभाग या जिला कलक्टर ने प्रार्थी को सीमांकन के आदेश करने पर सीमांकन के करने के समय व तारीख के बारे में किसी भी प्रकार का नोटिस नही दिया और ना ही किसी

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रकार की सूचना अपीलन्ट को दी गई, अपीलान्ट को बगैर सूचना व नोटिस के सीमांकन कर दिया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये ही आलौच्य आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने एक प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलान्ट ने उल्लेखित उक्त अराजी के साबिक खसरा नम्बर 672 है तथा साबिक खसरा नम्बर 672 के मिन नम्बर बनकर हाल रेस्पोडेन्ट को भूमि दी गई जबकि सम्पूर्ण रकबे खसरा नम्बर 672 की सीमांकन नही हो जाती तब तक पत्थरगढी का आदेश पारित नही किया जा सकता तथा सम्पूर्ण रकबे का सीमांकन से या मौके कमिश्नर नियुक्त करने के पश्चात् ही पत्थरगढी का आदेश पारित किये जाने चाहिये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा उठायी गयी आपत्ति को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल कारित की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वास्तविक रूप से खसरा नम्बर 3529/672 व 3530/672 का मौके पर रकबा शुरू से ही कम था उक्त मिन नम्बर बिना किसी सक्षम ऑथोरिटी के डाले गये तथ्य उक्त मिन नम्बरों में से भूमि मौके पर शुरू से ही कम थी चूँकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 क्रेता ने पूर्व खातेदारों से भूमि खरीदी है तथा रजिस्ट्री के दिन मौके पर भूमि कम थी मौके पर रिकार्ड से कम भूमि को ही सस्ते भावों में खरीद गया है तथा सीमांकन व पत्थरगढी की आड में अपीलान्ट को बेदखल करने की कोशिष की जा रही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद सीमांकन रिपोर्ट का अवलोकन किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है चूँकि सीमांकन रिपोर्ट में मात्र खसरा नम्बर 3529/672, 3530/672 सीमांकन बिना किसी मार्कड (पुराना सीमाचिन्ह के) के की गई है। इस प्रकार सीमांकन रिपोर्ट में पडौसी खातेदार को नोटिस या सूचना दिये बगैर की गई उक्त पत्रावली उपलब्ध तथ्यों के नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल कारित की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी स्वयं की आराजी खसरा नम्बर 3521/672 के सम्बन्ध में एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 पक्षकार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.02.2015 को मौके की यथास्थिति का अदेश पारित कर रखा था उसके बाद दिनांक 15.12.2015 को उक्त आदेश को ताफैसला यथावत रखने का अंतिम आदेश पारित कर दिया इस प्रकार एक तरफ स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलन्ट की आराजी में किसी भी प्रकार दखलअंदाजी न करने का आदेश स्वयं ने मु.संख्या 30/2015 रामजीलाल मंजूदेवी व अन्य में पारित कर रखा है, वही पडौसी खातेदार हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त प्रार्थना पत्र धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट में अपीलान्ट की भूमि में पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही कृषि भूमि के सम्बन्ध में

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दो अलग–अलग आदेश पारित किये है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि उभयपक्ष ने तहसीलदार फागी के समक्ष सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी पालना में ई.डी.एम. मशीन से दिनां 19.02.2015 व 20.02.2015 को सीमाज्ञान कर सीमा कायम की गई जिसमें रिपोर्ट के अनुसार उभयपक्ष व सभी पक्षकारान मौजूद थे, उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी के समक्ष पत्थरगढी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 15. 12.2015 का पत्थरगढी के आदेश पारित किये जिसकी पालना में पत्थरगढी मौके पर की जा चुकी है यानि आदेश की पालना हो चुकी है, ऐसे में अपील सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा सीमाज्ञान के विरोध में अपनी आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा सारहीन मानकर खारिज कर दिया गया था जिसके आधार पर पत्थरगढी आदेश पारित किया गया, अपीलान्ट द्वारा उक्त सीमाज्ञान आदेश को रोकने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया एवं भू प्रबन्ध विभाग की सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बरान भिन्न–भिन्न है जिसमें उभयपक्ष की सहमति के आधार पर सीमाज्ञान का आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर उभयपक्ष व पडौसी काश्तकारों की उपस्थिति के आधार पर हुये सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी आदेश पारित किये गये है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में तो संयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु सीमाज्ञान के पश्चात् भूमि खसरा नम्बर 672 सम्पूर्ण की रकबा बरारी कर पुनः सीमाज्ञान कराने की आपत्ति प्रस्तुत की जबकि अपीलान्ट के खसरा नम्बर 672/3147 एवं रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 672/3125 भिन्न–भिन्न है सीमाज्ञान के आधार पर ही पत्थरगढी की जा सकती है ऐसे में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 672 की सीमांकन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जबकि अपीलान्ट अपनी आराजी के साबिक खसरा नम्बर 2521/672 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खसरा 672/3125 व 672/3126 होना कथन कर आ रहे है जिससे स्पष्ट हो जाता

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

है कि खसरा नम्बर 672 के वर्तमान में बट्टा नम्बर अंकन हो चुके है जो सैटलमेन्ट के समय से ही पृथक–पृथक है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 151 सारहीन था द्वितीय रेस्पोडेन्ट भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गठित टीम द्वारा ई.डी.एम. मशीन से दिनांक 19.02.15 व 20.02.15 को राजस्व विभाग की टीम के साथ सीमाज्ञान करते हुए विधिवत नक्शा ट्रेस में डिर्माकेशन किया गया व मौके पर सीमाज्ञान कार्यवाही कर चिन्हित की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.15 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2015 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26/12/17 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।